

फर्द अहकाम

काजपुरा बनाम जेपाक

2022/587

नाम न्यायालय जेपाक  
केस संख्या


क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विरुद्ध रूप से	विशेष विवरण
	6/2/23	<p>पञ्चवली वैराडु वरुण उद्योग (पञ्चवली) वादक एकापलीप <del>पञ्चवली</del> <sup>बहुत</sup> पञ्चवली वामने <del>पञ्चवली</del> दिनांक 15/2/23 को पेश हो।</p> <p><i>[Signature]</i></p>	
15/2/23		<p>पञ्चवली वैराडु वरुण उद्योग (पञ्चवली) वादी अधिवक्ता उषण वादी अधिवक्ता एवं पेंसैकाट सरकार उषण वादी अधिवक्ता द्वारा वाद को नोटिस में खारिज किए जाने हेतु निर्देश किया गया। पेंसैकाट सरकार द्वारा इस्तवैज पेश किए गए जो शामिल मिलल रहे। सरकार पेंसैकाट द्वारा न्यायालय को अवगत कराया गया कि प्रतिवादी नं. 1 वर्तमान में राजस्य रिकार्ड में खोलेदार नहीं हैं।</p> <p>बदस उभय पक्षकारण चुनी गई। पञ्चवली का अवलोकन किया गया। सरकार पेंसैकाट द्वारा उस्तुर इस्तवैज जमावकी सेक्ट 2076-2079 का अवलोकन किया गया। जमावकी से अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी नं. 1 का नाम वर्तमान में राजस्य रिकार्ड में हजफ रिकिया जाकर अन्य व्यक्ति का नाम दर्ज किया जा चुका है। वाद वादीगण द्वारा विभाजन को पेश किया गया था।</p> <p>वर्तमान में प्रतिवादी नं. 1 को सहज्यातेर नहीं होने के कारण धारा 53 राजाधान काशकारी अधिनियम से अनुगत अकासना</p>	<p><i>[Signature]</i> Nate Rees Naxos (9/2/23)</p>

# फर्द अहकाम

बनाम

म न्यायालय

स संख्या

म संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
		<p>कि नहीं किया जा सकता।</p> <p>अतः वादीगण द्वारा उस्तुत बाह बाहल नकासम) पत्रिकादीमं। का नाम वर्तमान में शजन्म रिडर में सदस्योदेकर नहीं होने के आधाएत श्चारिज किया जाता है।</p> <p>पत्रावली के मूल शुमार दौकर नम्बर के मूल दौकर दाखिल वफतार हो।</p> <p>निर्णय आज दिनांक 15/2/2023 को सर्वे-इजलास सुनाया गया।</p> <p></p>	

की  
म  
न  
न  
||